कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

एम.बी.एस. मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा (राज0)

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

75 आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक एफ–5( )शैक्ष./कोविको/2022/1237 दिनांक :29/4/2022

अति–आवश्यक/द्वारा –ईमेल

सचिव/प्राचार्य/अध्यक्ष,
समस्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,
कोटा/बाराँ/बून्दी/झालावाड/सवाईमाधोपुर/करौली।

विषय :– एन.सी.टी.ई. से मान्यतां प्राप्त कार्यक्रमों/कोर्सेस के शिक्षक–छात्रों की उपस्थिति हेतु बायो मैट्रिक उपकरण स्थापित किये जाने बाबत्।

संदर्भ :– श्रीमान संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, जयपुर से प्राप्त आदेश क्रमांक प. 10(4)/शिक्षा–4/2008 जयपुर, दिनांक 11.04.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है एन.सी.टी.ई. का परिपत्र दिनांक 10.07.2019 के क्रम में संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त विभिन्न कार्यक्रमों/कोर्सों में अध्ययनरत छात्रों की उपस्थिति की सम्बद्ध विभागों/विश्वविद्यालयों द्वारा उचित रूप से निगरानी नहीं की जाने के परिणामस्वरूप वांछित उपस्थिति रिकार्ड से कम उपस्थिति वाले छात्रों को कथित तौर पर उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की गई है। एनसीटीई गुणवत्तापूर्णक शिक्षक शिक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य के लिए सभी मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों को एक बायो–मैट्रिक उपस्थित प्रणाली लागू करने के लिए निर्देश दिये गये है, जो कि सभी कार्य दिवसों में छात्रों की उपस्थिति को सटीक रूप से दर्ज कर सके।

अतः समस्त शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय प्रशासन को सूचित किया जाता है कि एनसीटीई मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों के लिए नियुक्त शिक्षण संकाय और प्रत्येक शिक्षक–छात्र की उपस्थिति को सटीक रूप से अंकित किये जाने हेतु 10 दिवस की अवधि में सभी संबंधित संस्थानों में बायोमेट्रिक उपस्थिति उपकरण स्थापित किये जाकर साक्ष्य के रूप में बायोमेट्रिक उपस्थिति उपकरण के क्रय बिल की सत्यापित छाया प्रति व उपस्थिति दर्ज करवाते समय की फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

पत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

कुलसचिव

क्रमांक एफ–5( )शैक्ष./कोविको/2022/ दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को माननीया कुलपति महोदया के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित है।
2. श्रीमान संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।

कुलसचिव